वन अपराधों की तफतीश के दौरान वन अपराध का पंजीकरण एवं आवश्यक दस्तावेज तैयार करना

1. वन अपराध के पंजीकरण की प्रकिया

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के प्रावधानो के विरूद्ध किया गया कोई भी कृत्य वन–अपराध की संज्ञा में आता है। वन अपाराधी को दण्डित किये जाने के लिये उक्त अधिनियम के अध्याय (9) के प्रावधानानुसार प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जैसा कि आपको विदित है कि वन अपराध भिन्न–भिन्न प्रकार के होते हैं। अतः रक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीगत वनों में किये गये वन अपराधों के सम्बन्ध में राजस्थान वन अधिनियम 1953 की अलग–अलग धाराओं में दण्ड का अलग–अलग प्रावधान है।

फोरेस्ट मैनुअल जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमादित है, में वन अपराध में अन्वेषण की शक्तियां उनके अधिकारिता क्षेत्र में नाका प्रभारी तक के वनाधिकारी को दी गई है। अधिसूचना संख्या एफ. 2 (20) राजस्व viii / 79 दिनांक 6. 5. 1983 द्वारा वन अपराध प्रकरण में जप्ति व गिरफ्तारी के अधिकार सहायक वन पाल स्तर के अधिकारी को दिए गये हैं। केटल ट्रेस पास एक्ट में बन्द क्षेत्रों से मवेशी जब्त कर कांजी हाउस (कैटल पाउण्ड) तक ले जाने के अधिकार वर्कचार्ज श्रमिकों तक को दिए गये हैं।

वन अपराध नहीं हो सर्वप्रथम ऐसा माहौल बनाना चाहिए एवं वन अपराध रोकने की हर सम्भव कोशिश की जानी चाहिए, इसके उपरांत भी यदि कोई वन अपराध करता है तो निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जाकर, अपराधी को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के तहत दण्डित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

1. एफ.आई.आर. / वन अपराध की प्रारम्भिक सूचना

एफ.आई.आर. जारी करने हेतु वन रक्षक एवं उससे ऊपर के सभी अधिकारी अधिकृत हैं। एफ.आई.आर. की बुकें उपलब्ध होती हैं, जिसमें वन अपराधी का नाम, पता, राजस्थान वन अधिनियम की कौनसी धारा के अन्तर्गत वन अपराध दर्ज किया गया है आदि सभी जानकारियॉ भरनी होती हैं।

ज्यों ही किसी वन रक्षक को किसी वन अपराध के घटित होने की सूचना मिलती है उसे तुरन्त मौके पर पहुँचना चाहिए, यदि अपराध हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए तथा मुल्जिमों तथा जप्ति योग्य सम्पत्ति को नाके पर ले जाना चाहिए। यदि अपराध हो चुका है तो अपराध स्थल की सुरक्षा की व्यवस्था कर तुरन्त नाके कर रिपोर्ट करनी चाहिए।

नाका प्रभारी को ज्यों ही अपराध की सूचना मिलती है वह उससे सन्तुष्ट होने के उपरान्त उसकी एफ.आई.आर. दर्ज करायेगा। एफ.आई.आर. में अपराध का विवरण संक्षिप्त व स्पष्ट लिखा जाना चाहिए तथा कानूनी भाषा में होना चाहिए। साथ में जिस अधिनियम व जिस धारा का उल्लंधन हुआ है उसका उल्लेख होना चाहिए। एफ.आई.आर. की प्रति 24 धण्टे में कोर्ट में भेज देनी चाहिए।

2. मौका पंचनामा

वन रक्षक एवं उससे ऊपर के सभी अधिकारी इस हेतु अधिकृत हैं। मौके पर हुए अपराध की विस्तृत विवेचना मौका पंचनामा में की जाती है। मौका पंचनामा में दिनांक, समय, स्थान, परिस्थिति आदि की विवेचना की जाती है। गवाह एवं उपस्थित गणों के हस्ताक्षर भी मौके पर ही करवाये जााने चाहिए। पंचनामा यदि मुल्जिम के सामने तैयार किये गया है तो उस पर भी मुल्जिम के हस्ताक्षर कराने चाहिए।

नाका प्रभारी/अन्वेषण अधिकारी सूचना दर्ज कर तत्काल मौके पर जायेगा तथा **"प्रारूप 1" में मौका पंच नामा बनायेगा। (** मौका पंच नामा कोई गस्त डायरी नहीं है बल्कि स्थान विशेष की समय विशेष पर परिस्थितियों का विवरण है। इसमें उस अपराध स्थल पर उस समय अन्वेषण अधिकारी ने क्या देखा तथा अपराध से सम्बन्धित क्या साक्ष्य देखे उसका उल्लेख होना चाहिए)

3. नजरी नक्शा

नजरी नक्शे में वन अपराध घटित हाने के स्थान का नक्शा, मौके पर वन रक्षक एवं उच्च स्तर के वन अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। मौके की समस्त विस्तृत सूचना नजरी नक्शा में दर्शायी जानी चाहिए। वन खण्ड का नाम, मीनारों की सिति, दिशा आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। **(नजरी नक्शा का "प्रारूप–2" संलग्न है)**

4. फर्द अभिग्रहण

जब यह सिद्ध करने के पर्याप्त कारण हों कि वन उपज के सम्बन्ध में वन अपराध घटित हो चुका है, तो राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52(1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहायक वनपाल या इसे उच्च स्तर का कोई भी वन अधिकारी वन अपराध की घटना में प्रयुक्त औजार, नाव, गाडी, ट्रक व अन्य वाहन और मवेशी का अभिग्रहण कर सकता है। अभिग्रण करने वाले अधिकारी द्वारा इस पर अभिग्रहण चिह्न लगाया जाना चाहिए। राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52(2) के तहत अभिग्रहण की सूचना तत्काल क्षेत्र के दण्डनायक या उच्च अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिये।

यदि मौके पर कोई वन उपज या अपराध में प्रयुक्त अन्य सम्पत्ति मिलती है तो उसे अभिग्रहित किया जायेगा। **फर्द अभिग्रहण का "प्रारूप –3"** संलग्न है। फर्द अभिग्रहण में यदि मुल्जिम उपस्थित है तो उसके हस्ताक्षर कराये जायेंगे। यदि मुल्जिम फर्द अभिग्रहण पर हस्ताक्षर देने से इन्कार करता है तो ऐसी टिप्पणी फर्द पर डाल देनी चाहिए।

जब्त सम्पत्ति पर सीजर निशान लगाना चाहिए या सीजर मार्का चस्पा करना चाहिए। सीजर निशान में कम मूल्यवान सम्पत्ति को खुला रखते हुए पेन्ट से कोई निशान विशेष बना दिया जाता है तथा निशान का विवरण फर्द अभिग्रहण में किया जाता है। **सीजर मार्का "प्रारूप–10"** में जो दो प्रति में तैयार किया जाता है। मूल्यवान सम्पत्ति जो किसी कपड़े या टाट में बंद की जाती है उसे धागे से बांधते समय सीजर मार्का साथ में बांधकर उस पर चपड़ी लगा दी जाती है तथा वाहन आदि बड़ी चीजें जो बन्द नहीं की जा सकती उन पर सामने सीजर मार्का चस्पा कर दिया जाता है। सीजर मार्का की द्वितीय प्रति केस फाईल के साथ लगा दी जाती है।

मौके पर यदि मवेशी जब्त की गई है तो "प्रारूप–11" में पत्र बना उक्त मवेशी निकटतम केटल पाउण्ड में भेज देनी चाहिए।

जप्ति की सूचना 24 घण्टे के अन्दर यथाशीध्र न्यायालय में भेज देनी चाहिए तथा फर्द अभिग्रहण की एक प्रति मुल्जिम को भी दी जानी चाहिए। यदि जप्त सम्पत्ति वन उपज है व उसके मुल्जिमों का पता नहीं है तो उक्त जप्ति की सूचना अपने उच्चाधिकारी को भेजना पर्याप्त है जो सम्बन्धित न्यायालय को इसकी सूचना डाक से देगा। जप्ति की प्रति मुल्जिम को दी जानी चाहिए।

5. <u>फर्द गिरफ्तारी</u>

जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध विश्वसनीय संदेह व तथ्य विद्यमान हों कि वह व्यक्ति ऐसे किसी वन अपराध की घटना से सम्बनध रखता है, जिसमें एक माह या इससे अधिक की सजा का प्रावधान हो तो उस व्यक्ति को राजस्थान वन अधिनियम की धारा 64(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सहायक वनपाल या इससे उच्च सतर के वनाधिकारी द्वारा बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारन्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 64(2) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को किसी अनावश्यक विलम्ब के क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जावेगा।

गिरफ्तारी केवल ऐसे अभियोगों में की जानी चाहिए जो एक माह अथवा इससे अधिक की सजा वाले हों । वन अधिनियम के अध्याय–4 के अपराधों में जब तक धारा 30 (सी). के अन्तर्गत वर्जित कार्य नहीं किया हो तब तक गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। जब परम् आवश्यक हो तो **"प्रारूप–4"** में फर्द गिरफतारी तैयार कर **"प्रारूप–5"** में फर्द जामा तलाशी पंजिकृत की जानी चाहिए।

मुल्जिम यदि मौके पर मिलता है तो गिरफ्तार कर **"प्रारूप–4" में फर्द गिरफ्तारी** बनानी चाहिए। गिरफ्तारी की सूचना तुरन्त उसके परिवारजनों को भेजनी चाहिए। तफ्तीश कुनिन्दा अधिकारी गिरफ्तार मुल्जिम को रेन्ज में पेश करेगा।

6. <u>बयान मुल्जिम</u>

प्रारूप संख्या–6 के अनुसार मुल्जिम के बयान लिये जाने चाहिये। यदि अभियुक्त के बयान से वन उपज आरक्षित अथवा रक्षित वन से लाया जाना विदित हो तो अभियुक्त को साथ रखते हुए कथित वन का निरिक्षण कर लेना चाहिये । इसमें कटान संबंधी हालात के अलावा वाहनों अथवा मवेशियों के निशानात का भी उल्लेख करते हुए एक और पंचनामा प्रपत्र –1 में बना लेना चाहिए जिस पर अभियुक्त की उपस्थिती तथा उसकी निशानदेही का उल्लेख करते हुए उसके हस्ताक्षर भी करा लेने चाहिए।

समस्त सूचना प्रपत्र में बताये अनुसार भरी जानी चाहिये। मुल्जिम का नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र, पेशा, पुलिश थाना जिला आदि की जानकारी भरी जानी चाहिये। तफ्तीश के दौरान मुल्जिम के बयान जो अन्तिम रूप में लिये जा रहें हैं पर मुल्जिम के

हस्ताक्षर करा लेने चाहिए। उक्त बयान दो साथियों की उपस्थिति में लेना उचित रहता है। साथियों के हस्ताक्षर भी बयान में दर्ज करा लेना चाहियें।

7. <u>फर्द जमा तलाशी</u>

सहायक वनपाल एवं इससे ऊपर के स्तर के समस्त वन अधिकारी इस हेतु अधिकृत हैं। **प्रारूप संख्या–5** में अंकित विस्तृत सूचना भरनी चाहिये।

8. <u>मुचलका व जमानत मुल्जिम</u>

मुल्जिम द्वारा उचित राशि का मुचलका **प्रारूप संख्या–8** के अनुरूप भरे जाने पर कोई भी वनाधिकारी जो रेंज प्रभारी से कम न हो मुल्जिम को मुचलका पेश करने पर किसी मजिस्ट्रेट या वनधिकारी द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होने की शर्त के आशय के मुचलके पर मुक्त कर सकता है। गिरफ्तार मुल्जिम को रेंज कार्यालय में पेश किये जाने पर रेन्जर उसे जमानत/मुचलके पर छोड़ सकता है। यदि उसे लगे कि मुल्जिमों द्वारा दिये गये नाम पते सही नहीं है या मुल्जिम बुलाने पर कोर्ट में नहीं आयेगें तो उन्हें कोर्ट में पेश करेगा। इस हेतु राजस्थान वन अधिनियम की धारा 65 में प्रावधान किये हुए है। **संलग्न प्रपत्र संख्या–7** के अनुसार सुपुर्दनामा फार्म भरा जाना चाहिये।

9. <u>फार्म दरख्वास्त एवं एवजाना</u>

मुल्जिम द्वारा जुर्म कबूल करने पर एक प्रार्थना पत्र वन अपराध शमन करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। इसमें वन अपराधी द्वारा एवजाना जमा करने हेतु निवेदन किया जाता है। क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं ऊपर के समस्त अधिकारियों द्वारा अपराध शमन करने की शक्तियों के अनुसार इसकी स्वीकृति प्रदान कर प्रकरण दफ्तर दाखिल किया जाता है। **(देखें प्रारूप संख्या–12 एवं H-3)**

<u>अन्य महत्वपूर्ण तथ्य</u>

यदि मौके पर अपराध पाया जाता है किन्तु माल व मुल्जिम नहीं मिलते तो अन्वेषण अधिकारी मौका पंचनामा बनाने के बाद अपराध के विषय में मुखविरों से व अधिकारों व रियायतों का उपयोग करने वालों से जानकारी करेगा। यदि अभियुक्त के बयानों के

अनुसार लकड़ी राजस्व भूमि से लाना पाया जावे तो यह भी पता लगाना चाहिए कि लकड़ी खातेदारी भूमि से लाई गई है अथवा गैर खातेदारी भूमि से । इसकी सूचना संबंधित असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं तहसीलदार को दी जानी चाहिए।

चोरी की गई वन उपज किधर गयी, कौनसे गांव में गयी तथा कौन व्यक्ति ऐसा कृत्य कर सकते हैं इसका अनुमान लगायेगा। सभी जानकारियां करने के बाद संदिग्ध अभियुक्तों को बुलाकर अन्वेषण अधिकारी द्वारा उनका परीक्षण किया जाना चाहिए। तफ्तीश का यह दौर काफी जटिलताओं वाला होता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को हर तरह की स्वतन्त्रता के अधिकार दिये हैं वही तफ्तीश अधिकारी को भी वन अधिनियम व दण्ड प्रक्रिया संहिता में काफी शक्तियां दी गई हैं। दोनों में सामंजस्य बैठाते हुए अन्वेषण अधिकारी को जो भी कदम उठाना है वह सोच समझकर तथा उसे युक्ति युक्त कारणों सहित केस डायरी में लेखित कर उठाना चाहिए। संदिग्ध अभियुक्त से अन्वेषण अधिकारी का व्यवहार बहुत ही मधुर व सम्मान पूर्वक होना चाहिए तथा तर्क शक्ति से उसका परीक्षण करना चाहिए। 5 मिनिट के परीक्षण के उपरान्त एक समझदार अधिकारी अनुमान लगा सकता है कि सामने वाले ने अपराध किया है या नहीं? जिस संदिग्ध अपराधी के अल्प परीक्षण से लगे की उसने अपराध किया है तथा वह अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसे विश्वास में लेकर तर्क–वितर्क से या प्रश्नों के जाल से तोड़ना चाहिए। एक बार वह टूट जाये ंतो उसका बयान रिकार्ड कर लेना चाहिए। बयान में उससे यह उगलवाना चाहिए कि अपराध से सम्बन्धित सामग्री कहॉ है। अविलम्ब उसकी ही निशान देही पर अपराध में उपयोग में ली गई वांछित सामग्री बरामद करनी चाहिए। बरामदगी के दौरान दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 165 के उपबन्धों की पालना करनी चाहिए। अपराध में बरामदगी के बाद वह केस मजबूत हो जाता है। अब बिना विलम्ब शेष मुल्जिमों को गिरफ्तार कर उनका क्रोस परीक्षण कर अपराध की पूरी कहानी सामने लानी चाहिए। उन्ही के क्रोस परीक्षण में यह पूछना चाहिये कि वन उपज काटतें या उसे परिवहित करते हुए उस दिन उन्हें किसी ने देखा या नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि अपराध की इतनी लम्बी कार्यवाही के दौरान कोई व्यक्ति इन मुल्जिमों को नहीं देखें। जिन व्यक्तियों या व्यक्ति का मुल्जिमों से जुर्म के दौरान सामना होना बतातें है उस व्यक्ति से बयान लेकर केस के साक्ष्य मजबूत करने चाहिये।

धारा 52 द्वारा जप्त सम्पत्ति को रिलीज करने के विषय में प्रावधान धारा 52 में किये गये है। **वन उपज को रिलीज नहीं किया जा सकता** । अन्य सम्पत्ति अधिसूचना संख्या एफ. 2(20) राजस्व VIII/79 दिनांक 6 मई 1983 में वर्णित अधिकारिता में उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक या रेन्जर द्वारा की जा सकती है।

यदि अभियुक्त मोके पर ही प्रकरण का शमन कराने को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे तो राजस्थान वन अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 6.5.83 के मापमानानुसार अभियोग का निपटारा कर देना चाहिए। वन अपराध का शमन (कम्पाउण्ड) अधिसूचना संख्या एफ. 2(20) राजस्व VIII/79 दिनांक 6 मई 1983 की शर्तो के अधीन इनकी अधिकारिता में उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा नियमानुसार ऐवजाना लेकर किया जा सकता है। यदि किसी प्रकरण में जप्ति की सूचना न्यायालय को दे दी गयी है, गिरफ्तार मुल्जिम न्यायालय में पेश किये गये हैं व जहां से वे जमानत पर छूट गए है तो ऐसे किसी प्रकरण को भी कम्पाउण्ड कर इसकी सूचना न्यायालय को दी जा सकती है।

वन अपराध प्रकरणों में न्यायालय में इस्तगासा 1 वर्ष के भीतर पेश किया जाना आवश्यक है। इस्तगासा पेश करते समय जुर्म धारा में उन सभी धाराओं को लिखा जाना चाहिये जिन–जिन का उल्लंधन हुआ है।

इस्तगासा पेश करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वन उपज जब तक विपरीत सिद्ध नहीं हो जाये राज्य सरकार की सम्पत्ति है। अतः वन उपज को कॅनफिसकेट करने का निवेदन न्यायालय में करना चाहिये। धारा 55 के अनुसार भी वन उपज व अपराध में प्रयुक्त अन्य उपकरण कॅनफिसकेट होने योग्य है।

यदि अभियुक्त ,एवजाना जमा कराने को प्रस्तुत न हो अथवा उसके द्वारा समुचित एवजाने का प्रस्ताव न रखा जावे तो अभियोग चालान अदालत हेतु रेंज कार्यालय में भेज दिया जाना चाहिए। क्षेत्रिय वन अधिकारी द्वारा समस्त प्रकरण के संबंध में फर्द शिकायती प्रपत्र–9 के जरिए संबंधित न्यायालय में अभियोजन हेतु प्रस्तुत की जानी चाहिए।

यदि अभियोग क्षेत्रीय वन अधिकारी से ऊपर के स्तर के वन अधिकारी द्वारा पकड़ा जाता है तो प्रपत्र–10 में तहरीर के साथ मूल पत्रादि मय वन उपज एवं प्रयुक्त सम्पती के संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी को अग्रेषित कर दिये जाने चाहिए।

दस्तावेज तैयार करने संबंधी अन्य बिन्दु

(1). यदि कब्जे शुदा सुपुर्दगीनामे पर लिये जाने हेतु कोई आवेदन प्राप्त हो तो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए कब्जेयाबी कुनिन्दा अधिकारी अथवा उनसे उच्च अधिकारी जो क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद से नीचे न हो उनके द्वारा ऐसे आवेदन पर निर्णय ले लेना चाहिए :–

(क) प्रार्थना पत्र कब्जेशुदा सम्पती के वास्तविक स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जावे

(ख) स्वामित्व का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत किया जावे।

(ग) सुपुर्दगी पर दिये जाने वाली सम्पती के बाजार भाव से कम मूल्य से कम का सुपुर्दगीनामा न हो।

(घ) वन उपज किसी भी दशा में सुपुर्दगी पर न दी जावे।

(ट) सुपुर्दगार इस बात का आश्वासन दे कि सम्पती में किसी प्रकार की फेर बदल या उसका किसी भी प्रकार का बेचान या हस्तान्तरण नहीं करेगा एवं जब भी तलब किया जायेगा वो सम्पती को पेश करेगा।

(च) यदि अभियोग की जॉच के सिलसिले में अथवा अन्य किसी अपराध के सिलसिले में उक्त सम्पती की सरकारी तहवील में रखना जरूरी हो तो उसे सुपुर्दगी में न दिया जावे।

(2) यदि अभियोग में और भी जॉच आवश्यक हो तो धारा –72 के अन्तर्गत साक्षीगण अथवा अन्य प्रलेखों अथवा वस्तुओं को तलब करने की संयमता का प्रयोग क्षेत्रीय वन अधिकारी अथवा उससे उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाकर साक्ष्य आदि का संग्रह किया जाना चाहिए। धारा –79 के अन्तर्गत राजकीय वनों से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों अथवा लोकसेवकों को सहायता , अपराधों की जॉच पड़ताल एवं अपराधियों की गिरफतारी के लिए , प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों की लिखित में सूचना देकर सहायता मांगनी चाहिए और यदि समुचित कारणों के सहायता न दी जावे तो उसी धारा के अन्तर्गत उनके विरूद्ध न्यायालय में इस्तगासा पेश करना चाहिए।

(3) सुपुर्दगीनामें पर छोड़ी गई सम्पती अथवा मुचलके पर छोड़ा गया अभियुक्त यदि तलब किये जाने पर उपस्थित न हो अथवा सम्पती प्रस्तुत न करे तो मुचलका अथवा सुपुर्दगीनामा तस्दीक करने वाला अधिकारी भू राजस्व अधिनियम की धारा 256/257 के अन्तर्गत मुचलके अथवा सुपुर्दगी नामे की राशि की वसूली के लिए संबंधित जिलाधीश को मॉग–पत्र प्रस्तुत करेगें (धारा 85 राज0 वन अधि.)

यदि अभिग्रहित सम्पति '' शीघ्र विनाश योग्य '' (perishable) हो तो धारा 58 के प्रावधानानुसार निम्न प्रकिया से निस्तांतरित की जानी चाहिए :–

(क) त्वरित प्राकृतिक नष्ट होने योग्य सम्पति के संबंध में मजिस्ट्रेट , इसके बेचान के निर्देश दे सकता है (धारा 58 (1) ए)

(ख) यदि अभिग्रहण करने वाला अधिकारी यह समझे कि त्वरित विनाश योग्य सम्पति के बेचान के लिए मजिस्ट्रेट से इतनी जल्दी आदेश प्राप्त किये जाना सम्भव नहीं है तो स्वयं वह वनाधिकारी ऐसी सम्पति को बेचान कर बेचान राशि को राजकीय कोषागार में जमा कराएगा –धारा 58 (1) (बी) और मजिस्ट्रेट को तदानुसार सूचना देगा।

धारा 58 (2) के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त उप धारा (1) के तहत राशि का आशय '' सम्पति के स्वरूप '' से ही लिया जाएगा।

2. <u>प्रकरणों का निस्तारण :–</u>

किसी भी वन अपराध के प्रकरण का निस्तारण निम्न प्रकार किया जा सकता है:–

(क) अपराध शमन ––compounding

(ख) न्यायलय में मुकदमा

(क) <u>अपराध का शमन से निस्तारण :–</u>

राजस्थान वन अधिनियम की धारा 62 एवं 63 के अतिरिक्त प्रकार के वन अपराधों का शमन से निस्तारण करने के लिए धारा 68 के प्रावधानानुसार राज्य सरकार ने ***<u>राज्यादेश संख्या एफ 2 (20) राज–8/79 दिनांक 6.5.83</u>*** द्वारा वन विभाग के रेंजर एवं

इससे उपर के स्तर के अधिकारियों को विभिन्न प्रवृति के वन अपराधों के शमन compound करने के अधिकार प्रदत्त करते हुए निम्न मापनान से प्रतिकर प्रतिग्रहित करने हेतु सशक्त किया है :–

क्र.सं.	शमन अधिकारी	अपराध की प्रवृति	प्रतिकार का मापनान
1	वन रेंज अधिकारी / वन्य जीव रेंजर / गेम रेंजर	वन उपज को सिर पर रखकर , जानवर तथा साइकिल पर लाद कर ले जाने संबंधी अपराध	पहले अपराध के मामले में उपज का बाजार मूल्य तथा उपज के बाजार भाव के 50 % के बराबर शास्ति तथा उपज को ले जाने के लिए प्रयुकत जानवर या यान यदि कोई हो तो के अधिग्रहण के बदले में उपज के बार मूल्य का 100 %
2	सहायक वन संरक्षक / वन्य जीव वार्डन / सहायक क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना	वन उपज का बैलगाड़ियों या किसी अन्य जानवर चालित वाहन ले जाने संबंधि अपराध	दूसरे अपराध के मामले में वन उपज का बाजार मूल्य तथा शास्ति के रूप में इसके बराबर की रकम तथा उपज को ले जाने के लिए प्रयुक्त जानवर या यान यदि कोई हो ,के अधिग्रहण के बदले में इसके बराबर की रकम। तीसरे तथा पश्चात्वर्ती अपराधों का शमन नहीं किया जायेगा और वे न्यायालय में अभियोजित किये जायेगें।
3	प्रभागीय वन अधिकारी, उप वन संरक्षक , उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक / क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना	वन उपज को यांत्रिक वाहनों से ले जाने सबंधी अपराध	

(ख) न्यायालय चालान :–

किसी वन अपराधी द्वारा वन अपराध शमन नहीं कराये जाने या एक ही अपराधी द्वारा दो बार से अधिक वन अपराध किये जाने की दशा में अथवा वनाधिकारी द्वारा शमन किया जाना उचित नहीं समझा जाने की स्थिति में वन अपराध का न्यायालय में चालान किया जाता है।

उक्त प्रक्रिया एवं नियमों के अतिरिक्त निम्नान्कित तथ्य भी उल्लेखनीय हैं :––

(1) प्रत्येक वन अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी को वन अपराध के कृतय को रोकने के लिए अधिनियम की धारा 66 के तहत अधिकार प्राप्त हैं।

(2) धारा 69 के अनुसार राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के दौरान अपराध से संबंधित वन उपज राजकीय सम्पति समझी जायेगी जब तक की अन्यथा सिद्ध नहीं हो जावे।

(3) धारा 61 के अनुसार संबंधित प्राधिकारी को धारा 52 के तहत अधिग्रहित सम्पति को तुरन्त मुक्त किये जाने के अधिकार प्राप्त हैं।

(4) किसी घर/मकान/ बन्द स्थान की तलाशी के लिए क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 93 के तहत " तलाशी वारन्ट " **search warrent** प्राप्त कर लेना चाहिए।

(5) अभिग्रहित पशु /मवेशी को सम्बंधित कॉजी हाउस **cattle pound** में रखी न दाखिल करा देना चाहिए।

"प्रारूप –1"

मौका पंचनामा

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 72 सी/वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 50 (8) के अनुसार

बसिलसिले तफतीश एफ.आई.आर. कमांक..दिनांक.......................

1 . स्थान :–..

2 . दिनांक :–.. 3 . समय :–.......................................

4. द्वारा वनाधिकारीः–...

(नाम व पूरा पता) ....

5 . घटनास्थल पर उपस्थित पंचों के नाम आदि :–

	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	निवास
(1)					
(2)					
(3)					
(4)					
(5)					

6 . घटना स्थल पर पंचों द्वारा देखी/सुनाई गई परिस्थितियों का विवरण :–

हम उपर्युक्त पंचगण प्रमाणित करते हैं कि घटना स्थल पर हमारे समक्ष जो परिस्थितियां वास्तव में देखी/सुनी गई, उन्हें उपर श्री ....से लिखवाया जाकर हमने इसे पढ़/सुन/समझ लिया है और यह विवरण घटनास्थल की परिस्थितियों का सही–सही बयान है जो कि मौके पर ही लिखा/लिखवाया जाकर हमने निशानी अगूंठा/हस्ताक्षर कियें हैं ताकि सनद रहे , वक्त जरूरत काम आवे।

निशनी अगूंठा/हस्ताक्षर पंचगण

(1) (4)

(2) (5)

(3)

उपर्युक्त हस्ताक्षर/ निशानी अगूंठा मेरे द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं :–

हस्ताक्षर/नाम अधिकारी
पद.................................

"प्रारूप –2"

<u>मौका नजरी नक्शा</u>

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 72–सी के अनुसार

बसिलसिले तफतीश एफ.आई.आर. क्रमांक..दिनांक.......................

1 . स्थान :–...

2 . दिनांक :–...   3 . समय :–..

4. द्वारा वनाधिकारीः–..

(नाम व पूरा पता) ....

5. घटनास्थल पर उपस्थित रूबरू स्टाफ

1.

2.

6. मौतविरान :–

1.

2.

3.

हालात मौका जुर्म तफ्तीश :– (मौके का नजरी नक्शा बनाया जावे, समस्त विवेचना की जावे जैसे वन खण्ड का नाम, मीनारें कहॉ स्थित हैं दिशा आदि की जानकारी)
उक्त नजरी नक्शा उपस्थित पंचान एवं मौतविरान के समक्ष बनाया गया एवं हस्ताक्षर हाजरीन उपस्थित पंचान एवं मौतविरान के कराये गये सो सनद रहे। नजरी नक्शा वक्त जरूरत काम आवे।

हस्ताक्षर स्टाफ   हस्ताक्षर मौतविरान   हस्ताक्षर अधिकारी   हस्ताक्षर मुल्जिम

"प्रारूप –3"

फर्द अभिग्रहण

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 72 सी/वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 50 के अनुसार

बसिलसिले तफतीश एफ.आई.आर. कमांक...दिनांक...........................धारा................

1 . स्थान :–...

2 . दिनांक :–.. 3 . समय :–...

4. जाप्ति कुनिन्दा अधिकारीः–...
(नाम व पूरा पता) ....

5. हाजरीन :– ....
(नाम व पूरा पता) ....

6. मुलजिमान जिनसे जप्ति की गई :–
(नाम व पूरा पता)

7. अपराध का विवरण :–

8. जप्त वन उपज या राजकीय सम्पत्ति का विवरण :–निम्नलिखित सामान राजस्थान वन अधिनियम की धारा 52(1) के अन्तर्गत जब्त किया गया।

9. जप्त अपराध में प्रयुक्त अन्य सम्पत्ति :–

उपर्युक्त विरण के अनुसार वन उपज, सरकारी व अपराध में प्रयुक्त अन्य सम्पत्ति राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा ....या/व वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा... का जुर्म पाये जाने पर उक्त अधिनियमों की ही क्रमशः धारा 52 व 50 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में जप्त कर फर्द हाजा तैयार की गई। फर्द में अंकित का मौके पर मिलान किया गया। जप्त सम्पत्ति पर ....से जप्ति का.. चिह्न लगाया गया। सीजर मार्क चस्पा किया गया। मौके पर हाजरिन व मुल्जिम के हस्ताक्षर लिये गये।

हस्ताक्षर मुल्जिमान हस्ताक्षर हाजरीन हस्ताक्षर अधिकारी

फर्द अभिग्रहण की प्रति प्राप्त की।

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी मुल्जिमान

प्रतिलिपी श्रीमान् न्यायालय मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम् श्रेणी स्थान...
को राजस्थान वन अधिनियम की धरा 52(2) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रेषित है।

हस्ताक्षर अभिग्रहण कर्ता

"प्रारूप –4"

फर्द गिरफ्तारी

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 64 /वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 50 के अनुसार

बसिलसिले तफतीश एफ.आई.आर क्रमांक .... दिनांक ....

जुर्म दफा ....राजस्थान वन अधिनियम या / व दफा .... वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम .... बमुकाम ....दिनांक .... समय .... द्वारा वनाधिकारी ....

रूबरू स्टाफ (1) ....

(2) ....

(3) ....

(4) ....

एवं मौत विरान (1) ....

(2) ....

(3) ....

उक्त एफ. आई. आर के केस में मुल्जिम श्री .... पुत्र श्री .... जाति ....उम्र................ निवासी .... पुलिस थाना .... जिला .... को जुर्म दफा .... राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 व / जुर्म दफा .... वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में धारा 64 (1) राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 धारा / 50 वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।

शारीरिक हालत :–

(1) पहनावा –

(2) रंग –

(3) शरीर का विवरण –

(4) विशेष पहचान –

(5) कद मुल्जिम –

उक्त मुल्जिम की गिरफ्तार फर्द कायम की जाकर हाजरीन को सुनवाई गई जो सही तफदीश की।

अतः बतौर साक्षी हस्ताक्षर / निशानी ली जावें।

हस्ताक्षर साक्षी हस्ताक्षर अधिकारी हस्ताक्षर मुल्जिम

फर्द गिरफ्तारी की प्रति प्राप्त की।

हस्ताक्षर / निशानी परिचित

"प्रारूप –5"

फर्द जमा तलाशी

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 69/वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 50 के अनुसार

बसिलसिले तफतीश एफ.आई.आर. क्रमांक...दिनांक.......................

1 . स्थान :–..

2 . दिनांक :–.. 3 . समय :–..

4. द्वारा वनाधिकारीः–...

(नाम व पूरा पता) ....

मुल्जिम श्री .... पुत्र श्री..

जाति...उम्र........................

निवासी...

.... पुलिस थाना...

जिला..

रूबरू स्टाफ 1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

एवं मौत बिरान 1. ....

2. ....

3. ....

को राजस्थान वन अधिनियम 1953 /वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में धारा ....का जुर्म करने पर राजस्थान वन अधिनियम 1953 धारा 64/वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर उक्त हाजरीन के समक्ष मुल्जिम की तलाशी ली गई तो शारिरिक कपडे पहनावे के अतिरिक्त निम्नलिखित सामान मुल्जिम की तहवील से प्राप्त हुआ।

1- 4-

2- 5-

3- 6-

जिसकी उक्त हाजरीन के समक्ष सील बन्द कर सील पर हाजरीन के हस्ताक्षर कराये गये हैं। फर्द कायम की जाकर हाजरीन को सुनवाई गई जो सभी ने सुन व तसल्ली कर हस्ताक्षर/निशानी की।

हस्ताक्षर साक्षी हस्ताक्षर अधिकारी हस्ताक्षर मुल्जिम

"प्रारूप –6"

<u>बयान फार्म</u>

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 72 सी/वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 50 के अनुसार

बसिलसिले तफतीश एफ.आई.आर. कमांक...दिनांक........................

1 . स्थान :–..

2 . दिनांक :–.. 3 . समय :–..

बयान मुल्जिम श्री ....पुत्र श्री..

जाति..उम्र..

निवासी..

पुलिस थाना.. जिला.. का है जो आपके रूबरू पूछने पर बयान करता हूँ कि................

उपर्युक्त बयान मैंने होस–हवास, बिना दबाव व स्वयं की जानकारी के अनुसार दिये हैं, तथा पढकर/सुनकर हस्ताक्षर/निशानी किये हैं, व सही हैं जो सनद रहे।

हस्ताक्षर अधिकारी हस्ताक्षर मुल्जिम

<u>सुपुर्द नामा</u>

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52 वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 50 के अन्तर्गत

लिख देने वाला मैं .... पुत्र श्री.. जाति ....उम्र ....पेशा... निवासी... पुलिस थाना ....जिला .... का हूँ जो कि ऑफिस जंगल .... ने तफसील माल लिखे मुताबिक गिरफ्तार जप्त किया है वह मेरे सुपुर्द आज दिनांक .... माह ....सन् .... को किया है। मैं इस इकरार नामें के बमुजोब इस माल को अपने तहवील में लेकर इकरार करता हूँ कि इसकी पूरी हिफाजत करूंगा और जब कोई आफिसर जंगल/मजिस्ट्रेट तलब करेगा फोरन पेश करूंगा।

(हस्ताक्षर तथा निशानी अंगूठा सुपुर्दकार का नाम साक्षी जिनके माल सुपुर्द किया गया)

1) ....

2) .... दिनांक ....

हस्ताक्षर अधिकारी

"प्रारूप –8"

मुचलका मुल्जिम

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 65

मैं श्री...पुत्र श्री...उम्र..................
जाति...
निवासी..
....पुलिस थाना.. जिला
.... का हूॅं जो कि इस तहरीर को इकरार करता हूॅं कि मुझे अफसर जंगलात ने दिनांक... को जुर्म (जंगल) धारा... करते हुए गिरफ्तार किया है। मैं रू.. का मुचलका पेश कर तहरीर को इकरार करता हूॅं कि अफसर जंगलात या मजिस्ट्रेट के तलब करने पर फोरन हाजिर होऊंगा और इसमें चूक हो तो मैं कसूरवार होऊंगा और ऐसा होने पर मेरा मुचलका मुबलिग रू...जब्त सरकार किये जाकर आवश्यक कार्यवाही की जाने हेतु पाबंद रहूॅंगा।

हाजरी मुचलका लिख लिख दिया जो सनद् रहे तथा वक्त जरूरत पर काम आवें।

हस्ताक्षर साक्षी हस्ताक्षर मुल्जिम हस्ताक्षर अधिकारी

1.

2.

"प्रारूप –9"

फार्म जमानत हाजरी

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 65 के अन्तर्गत

मैं ....पुत्र श्री... उम्र............ जाति...

निवासी...

....................................पुलिस थाना .... जिला ....का हूँ, जो कि अफसर जंगलात ने श्री .... पुत्र श्री.. जाति.............................. उम्र.....

निवासी...

पुलिस थाना.. जिला...................................... का है को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और आज दिनांक.................................. को इसकी जमानत मुबलिक रू.. नकद देकर इकरार करता हूँ कि अफ्सर जंगलात या मजिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन हाजिर करूँगा। अगर हाजिर नहीं करूँ तो जमानत मुवलिज रू.. जब्त सरकार की जावे। इसमें मेरा कोई उज्र नहीं होगा।

हस्ताक्षर मुल्जिम　　　　　हस्ताक्षर जमानती गवाह　　　　　हस्ताक्षर अधिकारी

साक्षी :–1.

2.

"प्रारूप –10"

सीजर मार्का

बसिलसिले तफतीश एफ.आई.आर. क्रमांक..दिनांक........................

1 . स्थान :–..

2 . दिनांक :–.. 3 . समय :–...

4. जाप्ति कुनिन्दा अधिकारी:–..

(नाम व पूरा पता) ....

5. नाम साक्षी 1. ....

2. ....

6. उपस्थित मुल्जिमान :–

7. अपराध का विवरण :–

8. जप्त सम्पत्ति का विवरण :–

हस्ताक्षर साक्षी हस्ताक्षर अधिकारी हस्ताक्षर मुल्जिम

"प्रारूप –11"

ओर से:–..

क्रमांक :   दिनांक :

निमित :

प्रभारी केटल पाउण्ड

पंचायत ....

विषय : जप्त मवेशी को कैटल पाउण्ड में दाखिल करने बाबत।

महोदय,

अपराध प्रकरण संख्या .... दिनांक .... की तफ्तीश में नीचे दी गई सूची के अनुसार मवेशी राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा ..../ वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में धारा 29/51 के जुर्म में राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52/वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 50 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में जप्त की गई है। कृपया इस मवेशी को कैटल पाउण्ड में दाखिल कर पत्र वाहक श्री .... को रसीद इजरा करें।

ध्यान रहें अब उक्त मवेशी राजकीय सम्पत्ति है अतः यदि कोई व्यक्ति इस मवेशी को छुड़ाने आये तो उसे इस कार्यालय के लिए निर्देशित किया जाये। बिना इस कार्यालय या सक्षम न्यायालय के आदेश के मवेशी को मुक्त नहीं किया जाये। अन्यथा आपके विरूद्ध भा. द. स. की धारा 409 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

सूची मवेशी –

भवदीय

हस्ताक्षर

(नाम प्रभारी / रेन्ज प्रभारीद्ध)

"प्रारूप –12"

ओर से,

उप वन संरक्षक / क्षेत्रीय वन अधिकारी / वनपाल

....

निमित्त,

....

....

....

विषय :– राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 68 के तहत वन अपराध को शमन (compound) करने का प्रस्ताव

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक .... को

1. आपका वाहन .... / ट्रक / ट्रेक्टर–ट्रोली रजि. संख्या...................... राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा... के तहत वन अपराध में लिप्त पाया गया, जिसमें ....क्विंटल की लकडी / कोयला को बिना वैद्य पारपत्र के परिवहन करते हुए पाया गया, जिसको इस विभाग के अधिकारी / कर्मचारी द्वारा जब्त किया गया।
2. आपको मौके पर वन क्षेत्र .... में अवैद्य कटाई करते हुए पाया गया तथा आपके पास से मौके पर....................................... क्विंटल लकडी अवैद्य रूप से काटी हुई पाई गई।
3. वन क्षेत्र में अवैद्य रूप से आपके....................................... मवेशी को चरते हुए पाया गया।
4. ....
....
....

जिसके संबंध में एफ.आई.आर. संख्या...............................दिनांक......................... जारी की गई।

आपके द्वारा मौके पर इस वन अपराध को शमन (compound) कराने की इच्छा की गई। अतः आपको सूचित किया जाता है कि यदि उपर्युक्त अपराध को आप शमन (compound) कराने की इच्छा रखतें हैं तो आप द्वारा या आपके प्रतिनिधि द्वारा मुआवजा राशि रू...................................... सात दिवस, दिनांक.................................... तक की अवधि के अंदर इस कार्यालय में जमा करायें, जिससे उपर्युक्त वन अपराध को शमन (compound) किया जा सके। आप द्वारा इस अवधि में मुआवजा राशि जमा नहीं कराने पर यह मान लिया जायेगा कि आप वन अपराध को शमन कराने में कोई रूचि नहीं रखते हैं तथा उपर्युक्त वन अपराध के लिए आप के विरूध न्यायालय में कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

भवदीय,

उप वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन पाल

....

Form No. H3

वन विभाग राजस्थान

Application Form for Compounding Forest Offences

फार्म दरख्वास्त एवजाना निरस्त जुर्म जंगल

मुझे श्री ....पद.. ने दिनांक ....बरोज .... बवक्त .... लकड़ी काटते / दरतख्त काटते / चराई मवेशी कराते / घास काटते जंगल ....से गिरफ्तार किया है। मुझे जुर्म जंगल जेरे दफा एक्ट जंगल .... करना इकबाल किया है और मैं बखूबी खुद मुबलिक .... ऐवजाना और .... कीमत माल गिरफ्तार शुदा देने को रजामन्द हूँ सो मंजूर फरमाया जावे।

दिनांक ....

दस्तखत या अंगूठा मुल्जिम

नाम गवाह

1. ....
2. ....

रिपोर्ट अफसर एवजाना तजबीज कुनिन्दा

जनाबे आली

मुल्जिमान श्री.. पुत्र श्री.. जाति.............................. निवासी... को फोरेस्ट गार्ड ....ने दिनांक .... माह ....सन .... बरोज .... जुर्म जंगल करते हुए गिरफ्तार किया है और मुल्जिम ने जुर्म जंगल इकबाल कर बखुशी मुबलिग..................... .... एजवाना और .... कीमत माल अदा कर दिया है जिसकी रसीद मुल्जिम को दी गई है। दरख्वास्त हाजा बिनावर मन्जूरी इरसाल खिदमत आलिया है।

रसीद संख्या......................... दिनांक..   नाम अफसर

अज दफ्तर डिविजनल फोरेस्ट आफिसर

बाद रजिस्टर नं. ....माल रू... वापिस होवें। एवजाना मुबलिग रू. .... कीमत माल रू. .... मंजूर है सो वसूल कर रकम हिसाब में दर्ज की जावे।

दिनांक ....

डिविजनल फोरेस्ट आफिसर

<u>न्यायालय को जप्ति व गिरफ्तारी की सूचना का प्रारूप</u>

ओर से :– ....

क्रमांक :– दिनांक :–

न्यायालय श्रीमान् मुसिंफ एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट

....

....

विषय – एफ.आई.आर. संख्या .... दिनांक .... की तफ्तीश में जप्त सामग्री की सूचना व गिरफ्तार मुल्जिमों को पेश करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक .... समय .... पर मुल्जिम सर्व श्री .... को स्थान .... पर .... करते पकड़ा गया/ .... ने सूचना दी की श्री .... ने .... अपराध किया है। राजस्थान वन अधिनियम की धारा .... / वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की धारा .... का जुर्म पाया जाने पर अपराध प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश में श्री .... के कब्ज से/ धटना स्थल से निम्न वन उपज / राजकीय सम्पत्ति / अपराध में प्रयुक्त अन्य सम्पत्ति/अपराध में प्रयुक्त अन्य सम्पत्ति जप्त की गई –प्रकरण की तफ्तीश में निम्न मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया –

1) ....

2) ....

3) ....

4) ....

प्रकरण में अभी तफ्तीश बाकी है। अतः जप्ति की सूचना देते हुए निवेदन है कि गिरफ्तार मुल्जिमों को न्यायायिक अभिरक्षा में भेजने का कष्ट करें।

या

प्रकरण में अभी .... की बरामदगी बाकी है अतः मुल्जिमों का फोरेस्ट कस्टडी रिमाण्ड प्रदान करने का कष्ट करें। रिमाण्ड फार्म संलग्न है।

प्रकरण में मुल्जिमों ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की धारा .... का अपराध किया है जिसमें ....तक की सजा का प्रावधान है।

केस पत्रावली अवलोकनार्थ श्रीमान् की सेवा में पेश है।

संलग्न :–

1. फर्द
2. एफ.आई.आर. की प्रति
   (यदि पहले नहीं भेजी गयी है।)
3. ग्वाहान की सूची
   (पूर्ण पते सहित)

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी

<u>फर्द इस्तगासा</u>

न्यायालय ....

महोदय,

इस्तगासा निम्नलिखित है कि यह जंगल..
आरक्षित / रक्षित / अवर्गीकृत

1. वन है तथा इसके चारों तरफ हद सरहद के मीनारें लगे हुए हैं।
2. यह है कि खण्ड आरक्षित / रक्षित / अवर्गीकृत वन राजपत्र.. में प्रकाशित हो चुका है।
3. यह है कि इस वन खण्ड में बिना परमिट लिए कोई भी कार्य करना, मवेशी चराना, वृक्ष काटना, वन पैदावार ले जाना मना है।
4. यह है कि मुल्जिम श्री..पुत्र श्री.. दिनांक.. को मौका.. पर अपनी मवेशी डालकर / हरे वृक्ष कुल्हाडे से काटकर चरा रहा था / हरे वृक्ष काट रहा था / बिना पारपत्र के वन उपज का अवैध परिवहन कर रहा था।
5. यह है कि वन विभाग के अधिकारी ने वक्त गश्त मुल्जिम श्री.. को गिरफ्तार किया है।
6. यह है कि राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा.................................. के तहत मुल्जिम को .... माह की सजा या रू. .... जुर्माना अथवा दोनों सजायें साथ–साथ दिलाने का प्रावधान है। अतः मुल्जिमान को सख्त सजा तथा वन अपराध की क्षतिपूर्ति दिलाने की कृपा करावें। इस्तागासा शीघ्र कार्यवाही करने हेतु श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर अधिकारी

क्षेत्रीय वन अधिकारी...

क्रमांक :–..............................   दिनांक......................

निमित्त :–

एस. एच. ओ. / प्रभारी

पुलिस थाना / आर.ए.सी. चैक पोस्ट

....

जिला :– ....

विषय :– जब्त शुदा वाहन ....रजि.
नं.................................... को सुपुर्दगी में देने के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मेरे अधिनस्थ स्टाफ / गश्ती दल द्वारा राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 32, 33, एवं 41 तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27, 29 के तहत वन उपज के अवैध परिवहन में लिप्त वाहन..रजि. नं. .... को दिनांक ....समय.................................पर जब्त किया गया है।

उक्त वाहन आपकी तहवील में दिया जाता है। जब तक वन विभाग के गश्तीदल अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त वाहन को छोडने के लिये आपके पास अधिकृत पत्र प्राप्त न हो जावे तब तक उक्त वाहन को नहीं छोडा जावे।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी

....

परिवाद /शिकायत / इस्तगासा /कम्पलेन्ट

विज्ञप्ति संख्या डी. 4965/एफ. 34(44) राजस्व 153 दिनांक 26.10.1956 जो कि राजपत्र भाग (सी) दिनांक 13.12.1956 को पृष्ठ संख्या 661 पर प्रकाशित हुई से राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 72 के अधिकार रेंजर व उसके उच्चाधिकारियों को प्रदान किये हैं। लेकिन वन अपराध में शिकायत कैसे पेश की जायेगी व कौन पेश करेगा इसका कोई उल्लेख राजस्थान वन अधिनियम में नहीं है। राजस्थान वन अधिनियम की धारा 54 में उल्लेख है कि जप्ति की सूचना प्राप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट वह आवश्यक उपाय करेगा जिससे मुल्जिम की गिरफ्तारी व विचारण हो सके तथा जप्त सम्पत्ति का निपटारा हो सके।

फिर भी वन विभाग में वन अपराध की तफतीश के उपरान्त इस्तगासा क्षेत्रीय वन अधिकारी पेश करता है। अपराध का इस्तगासा न्यायालय में पेश करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 में समय सीमा निर्धारित है जो निम्न प्रकार है :–

	सजा की अवधि	समयावधि
1.	**यदि अपराध केवल जुर्माना से दण्डनीय है।**	**6 माह**
2.	**यदि अपराध एक वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है।**	**1 वर्ष**
3.	**यदि अपराध एक वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष से अनाधिक सजा से दण्डनीय है।**	**3 वर्ष**

अपराध होने की तिथी से उपर दी गई समयावधि निकल जाने के बाद कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा।

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की धारा 55 के अनुसार वन्य जीव अपराध की शिकायत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक या अधिकृत अधिकारी कर सकते हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी व उससे उच्च स्तर के अधिकारी इस हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किये गये हैं।

अपराध प्रकरण के अन्वेषण के बाद शिकायत प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत अधिकारी यह पाता है कि प्रकरण में मोटर वाहन अधिनियम, शस्त्र अधिनियम या भारतीय

दण्ड संहिता आदि का भी अपराध हुआ है तो सभी अपराधों में , मुल्जिमों को दण्ड दिलाने के लिए वह निम्न प्रकार कार्यवाही कर सकता हैः–

1- सम्पूर्ण केस डायरी के साथ संबंधित थाने में द. प्र. स. की धारा 154 के तहत दे, एफ. आई.आर. दर्ज कराये। ऐसी स्थिती में अन्य अपराधो के साथ वन व वन्य जीव अपराध की तफतीश व चालान की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जावेगी।

2. पुलिस कह सकती है कि वन अपराध व वन्य जीव अपराध में आप स्वयं को कार्यवाही के अधिकार है। तब केस डायरी की नकल देकर अन्य अपराधों में एफ.आई.आर. पुलिस में दर्ज करानी चाहिए। इस स्थिती में यदि वन विभाग अपना केस कम्पाउण्ड कर रहा है तो अन्य अपराध के साक्ष्य के रूप में वन विभाग द्वारा जब्त सम्पत्ति पुलिस के सुपुर्द की जा सकती है। यदि वन विभाग भी अपना केस न्यायालय में पेश कर रहा है तो उस प्रकरण की तफतीश में जप्त कोई भी सम्पत्ति बिना न्यायालय से आज्ञा लिए पुलिस के सुपुर्द नहीं की जानी चाहिए।

यह तथ्य घ्यान रखा जाना चाहिये कि वन्य जीव अपराध में प्रयुक्त वाहन, हथियार आदि वस्तुए धारा 39 के तहत सरकारी सम्पत्ति है। यदि उक्त वस्तुएं बिना न्यायालय की आज्ञा अन्य अपराध के साक्ष्य में पुलिस के सुपुर्द कर दी गई तो ये मुक्त होने की स्थिती में आ जायेगी।

3. यदि अन्य अपराध असंज्ञेय है या संज्ञेय होते हुए भी पुलिस इन्तला नहीं ले रही है तो वन अपराध के साथ अन्य अपराधों की शिकायत भी द. प्र. स. की धारा 190 (क) के तहत न्यायालय में प्रस्तुत की जावेगी।

धारा 190 के प्रावधान निम्न प्रकार है :–

मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधो का संज्ञान (1) इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई प्रथम् श्रेणी मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता हैः–

(क) उन तथ्यों की जिनसे ऐसा अपराध बनता है शिकायत प्राप्त होने पर।

(ख) ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर।

(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस सूचना पर या स्वंय अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है।

वन अपराध के साथ अन्य अपराध की शिकायत यदि धारा 190 (क) द्वारा न्यायालय स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय द. प्र. स. की धारा 200 के तहत परिवादी/शिकायती की परीक्षा करेगा।

<u>धारा 200 के प्रावधान निम्न प्रकार है :–</u>

शिकायत पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट शिकायती की और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सांराश लेखबद्ध किया जायेगा और परिवादी और साक्षियों तथा मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा।

परन्तु जब परिवाद लिखकर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए शिकायती /परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक न होगा –

(क) यदि शिकायत अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने को तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा की गई है, अथवा

(ख) यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के लिए मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है।

चूकि वन अपराध व वन्य जीव अपराध के अलावा अन्य अपराधों में वन अधिकारी को कार्यवाही करने के अधिकार नहीं है अतः बिन्दू संख्या 3 की शिकायत में उसे पदीय कर्तव्यों में कार्य करने वाला लोक सेवक नहीं माना जावेगा। अतः न्यायालय सर्व प्रथम् परिवादी (वनाधिकारी) व उसके साथियों की परीक्षा करेगा या शिकायत को द. प्र. स. की धारा 202 के तहत पुलिस अन्वेषण के लिए भेज देगा पुलिस द. प्र. स. की धारा 156 (3) के अनुसार अन्वेषण पर कार्यवाही करेगी।

यदि अपराध की तफतीश में सिर्फ वन अपराध या/ वन्य जीव अपराध होना पाया जाता है तो शिकायत वनाधिकारी द्वारा सीधे ही न्यायालय में पेश की जावेगी शिकायत में निम्न बातों का समावेश होना चाहिए–

1. न्यायालय का नाम
2. परिवादी का पद नाम

3. अपराधियों का नाम, पिता का नाम, जाति, आयु, पेशी व निवास
4- एफ.आई.आर. संख्या व दिनांक
5. जुर्म धारा
6. अपराध घटित होने व तफतीश की धटनाओं का सिलसिलेवार विस्तृत विवरण
7. उन कृत्यों का अभिकथन जिनके करने या न करने से अधिनियम की अलग–अलग धाराओं का उल्लंधन हुआ है। तथा अधिनियम की उस धारा का विवरण जिसमें दण्ड का प्रावधान है।
8. वनों को हुये नुकसान की रूपयों में कीमत
9. न्यायालय के ध्यान लाने योग्य अन्य बातें
10. मुल्जिमों को सजा के लिए प्रार्थना
11. साक्षियों की सूची
12. दस्तावेजों की सूची

तैयार परिवाद सहायक लोक अभियोजक की सहायता से न्यायालय में पेश कर देना चाहिए। परिवाद की एक प्रति सहायक लोक अभियोजक को आगे पेरवी करने हेतु दी जाती है। परिवाद की एक प्रति मुल्जिम को निशुल्क दी जाती है।

<u>विशेष टिप्पणी</u>

1- **वन अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है अतः उसके सामने किसी मुल्जिम द्वारा दिया गया अपराध स्वीकारोति बयान न्यायालय में साक्षी के रूप में ग्राह्य है। भारतीय साक्षी अधिनियम की धारा 25 इस पर लागू नहीं होती।** (क्रिमिनल अपील संख्या 317 वर्ष 1988 जो कि क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम अबुब कर व अन्य में केरल हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 14.03.1989 को निर्णित की गई)
2. अन्वेषण अधिकारी द्वारा वन्य जीव अपराध की तफतीश में मुल्जिम की उपस्थिति के लिए गये या लिखे गये साक्ष्य न्यायालय में ग्राह्य है। (व.जी.सु. अधि. की धारा 50 (8))

उपसंहार

चूंकि वन अपराध व वन्य जीव अपराध जिस सम्पत्ति के लिए किये जाते है वह राजकीय सम्पत्ति होकर किसी वनाधिकारी के चार्ज में होती है अतः उस सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराधी के पकड़े जाने पर वनाधिकारी उससे सम्पत्ति के मालिक की तरह व्यवहार करते है जो कि उत्तेजना पूर्ण होता है। वनाधिकारी की यह सोच व व्यवहार उचित नहीं है। सम्पत्ति जो वनाधिकारियों को चार्ज में दी गई है, वह उसका मालिक नहीं बल्कि एक रखवाला है। रखवाली करते समय यदि कोई व्यक्ति उससे जबरदस्ती सम्पत्ति चुराने की कोशिश करता है तो उक्त चोरी को रोकने के लिए वह आवश्यक बल प्रयोग कर सकता है। लेकिन जब अपराध हो चुका हो व रखवाले ने सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट कर दी हो तथा अपराध प्रकरण दर्ज हो गया तो रखवाले के रूप में उसका दायित्व पूरा हो चुका है। अब अन्वेषण में मुल्जिम गिरफ्तार होता है तो कोई उत्तेजना प्रकट नहीं करनी चाहिए।

अपराध की परिभाषा भी देश और काल के अनुसार बदलती रहती है। आज के 50 साल पहले बाघ के शिकार पर पुरस्कार दिये जाते थे। शिकार के अच्छे आयोजनकर्ता को जागीरें बख्शी जाती थी। आज से 30 साल पहले तक तुच्छ राशि भुगतान पर बाघ के शिकार के परमिट दिये जाते थे। आज यह 7 वर्ष की सजा से दण्डनीय अपराध है। आज से 50 वर्ष पहले राजस्थान वन विभाग ने धरियाबाद व प्रतापगढ़ के जंगलो में पेड़ काटना, उनका कन्वर्सन व कोयले बना व्यापार करना प्रारम्भ किया। परिणामस्वरूप क्षेत्र में भूमिहीन आदिवासियों ने उक्त परिश्रम को ही जीविका का साधन बना लिया। वर्तमान में समस्त कटान रोक दिया गया है, अब उसी सीतामाता अभ्यारण्य के जंगल में से सूखी लकड़ी बेचना भी 3 वर्ष की सजा का अपराध है। अतः इन अपराधों को अभी भी समाज ने अपराध के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। अतः ऐसे अपराध की तफतीश में समाज से सहायता की कम उम्मीद रखनी चाहिये।

वनाधिकारी को किसी भी अपराध प्रकरण की तफशीश रागद्वेश से ऊपर पूर्ण निष्पक्ष करनी चाहिये। बिना साक्ष्य कोई विपरीत विचार धारा किसी नागरिक के विषय में नहीं बनानी चाहिये । ज्यों ही किसी प्रकरण की तफशीश की जिम्मेदारी उस पर आती है उसे दिल में यह धारणा बना लेनी चाहिये कि उसका दायित्व प्रकरण की सफल तफतीश

मात्र है। मुल्जिम को दण्ड देना व ऐसा कर अपराधी समाज को नसीहत देने का कार्य न्यायालय का है। यदि वह अच्छा अन्वेषण करता है, अच्छा इस्तगासा लिखता है व अभियोजन में ध्यान देता है तो मुल्जिम निश्चित रूप से दण्ड पायेंगे।

यदि आपके पास अपराध की सूचना आती है तो तत्काल जांच कर इसकी पुष्टि कर लें। इसके बाद एफ.आई.आर. काट उसकी एक प्रति उच्चाधिकारी को व एक प्रति न्यायालय को रवाना कर अन्वेषण प्रारम्भ करें। **एफ.आई.आर. अपराध घटित होने की किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना मात्र है। अपराध धटित ही हुआ है इसका पक्का दस्तावेज नहीं।** यदि अपराध नहीं पाया जाता या अपराध के साक्ष्य नहीं मिलते तो प्रकरण में अन्तिम प्रतिवेदन दिया जा सकता है।

अन्वेषण अधिकारी के नेतृत्व में जाने वाली टीम को अनुशासित होना चाहिये। उनको जानना चाहिये कि वे अन्वेषक नहीं बल्कि अन्वेषण अधिकारी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। उन्हें अन्वेषण अधिकारी द्वारा पूर्व में या मौके पर दिये गये निर्देशों के इतर कोई कार्य नहीं करना चाहिये। यदि वे अन्वेषण के दौरान ऐसे किसी तथ्य से या साक्ष्य से अवगत होते है जो अन्वेषण में सहायक हो सकता है तो उससे उन्हें अन्वेषण अधिकारी को अवगत करा देना चाहिये। तलाशी सिर्फ दिन में ही ली जानी चाहिये। तथा तलाशी चोरों की तरह से छापा मार विधि से नहीं बल्कि जहॉ तक सम्भव हो दो गवाहों के सामने शान्ति से ली जानी चाहिये। यदि कोई तलाशी का विरोध कर रहा है तो उसे गिरफ्तार कर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। अभियुक्तों का यह कृत्य भी संज्ञेय अपराध है। तलाशी का काम द्रुत गति से निपटा अपने मुकाम पर आ जाना चाहिये, लेकिन द्रुत गति से अभियुक्तो को ऐसा नहीं लगना चाहिये कि टीम के पांव कमजोर हैं।

अभियुक्त के परीक्षण में मारपीट नहीं की जानी चाहिये। बल्कि परीक्षण की वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करना चाहिये। महत्तपूर्ण मामलों की तफतीश में आधुनिक साध न कैमरा, विडियों कैमरा , टेपरिकार्डर व अपराध विशेषज्ञों आदि का सहयोग उचित रहता है।

अतः में वनाधिकारियों को यह बताना उचित होगा कि वे दिन चले गये जब शक्ति का शासन था, वर्दी धारी कुछ भी कर दें कोई सुनने वाला नहीं था। अब बुद्धि व कलम का शासन है। उन्हें भी तदानुसार बुद्धि व कलम की इस्तेमाल करना चाहिये । कानून की

अज्ञानता से, जल्दबाजी में या अति उत्साह में ऐसा कार्य न करें कि मुल्जिम के खिलाफ तफशीश रूक जावे व वह आपको उल्टा अभियुक्त बना दे। अतः वनाधिकारियों को दिये गये अधिकारों की सीमा में ही कार्य करना चाहिए।